Their basic raw material is pig iron. Unfotunately the government policy for the distribution of this essential raw material is favouring large units which are capable of investing heavy amounts to make bulk indents, thus derogating the vital interests of the small scale foundries and jeopardising their very survival. For this purpose, pending a regular solution to the problem, for the benefit of small scale industries which are in the backward and tribal areas operating in rural or semi urban locations and are isolated from industrial pockets as such, such units may be permitted to draw their requirements of pig iron raw material either from the plants or stockyards at the JPC's prices and traffs and box wagon loads.

श्री मनो राम बागड़ी : (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। किसानों की पैदावार के भावों के बारे में रोज चर्चा रहती है। सारे देश के किसानों में इस बात को लेकर बड़ी बैचेनी है। किसानों ने पार्लियामेण्ट के सामने कपास को जलाया है। आखिर डा लोहिया ने खेती और कल कारखानों की पैदावार की निस्बत जो बताया है उसके लिए यहां पर नियम 377 के अन्तर्गत बयान देने से बात नहीं बनेगी। सदन इस बात पर खुल कर यहां बहस करे और कुछ नतीजा निकाले जिससे कि किसानों को राहत पहुंचे सके। आज हिन्दुस्तान के किसानों की कमर टूट रही है। आज कपास की कोई कीमत नहीं रह गई है, गेहूं की व्यवस्था भी खराब है। इसी तरह से गन्ना और गुड़ की हालत हो रही है। इसलिए 377 से इसमें कोई बात बनने वाली नहीं है। इस पर पूरी बहस के लिए आप समय दीजिए। 23 दिसम्बर, को यहां पर देश भर के किसानों का सम्मेलन होने वाला है। इस सदन को इस बारे में बहस करनी चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री बेगाराम चौहान (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यहां पर प्रधान मंत्री जी विराजमान हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहां पर कई दफ़ा कपास नरमा के सम्बन्ध में चर्चा हुई है। भूतपूर्व सरकार के समय में भी 500 रुपये नरमा का भाव था लेकिन आज 200 रुपये का भाव रह गया है। किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आम किसानों को लूटा जा रहा है और कोई भी सुनने वाला नहीं है।

MR. SPEAKER: He is raising the same question. Mr. Jnaneswar Mishra.

श्री बेगाराम चौहान : किसानों को लूटा जा रहा है ....

MR. SPEAKER: This is not a point of order. You have made your point.

श्री बेगा राम चौहान : अध्यक्ष महोदय?..**

MR. SPEAKER: Don't record.

(iii) Fixation of Procurement prices of wheat etc. by the Agricultural Prices Commission.

श्री जनेश्वर मिश्र : (इलाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, खेती के मामले को उठाने के लिए आप ने मुझे इजाजत दी है, इसी तरह से इस सदन में दामों के मामले में डा० लोहिया ने भी कई बार चर्चा उठाई थी। खेती से पैदा होने वाली चीजों का वाजिब दाम मिल सके, इस के लिए चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में संघर्ष का वातावरण तैयार हो रहा है ...

MR. SPEAKER: Yuo are not confining yourself to the statement.

श्री जनेश्वर मिश्र : कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश, कि गेहूं का वसूली मूल्य 115 रुपया प्रति क्विंटल किया जाय, के विरुद्ध गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कई राज्यों ने, जिन में उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह भी हैं, मांग की है कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित दाम बहुत कम हैं और इसे बढ़ाया जाय। जिस रफ्तार से खाद, बिजली तथा कृषि में काम आने वाले दूसरे साधनों के मूल्य बढ़े हैं, उस के मुकाबले में कृषि उत्पादन का मूल्य बहुत ही धीमी रफ्तार से बढ़ा है। खेती और कारखाने के मूल्य में संतुलन स्थापित करने के लिए सरकार ने आज तक कोई भी निश्चित फार्मूला नहीं तय किया है। आम तौर पर से खेती के कच्चे माल पर कारखाने का पक्का माल तैयार होता है। जहां तक खाद्यान्न का सवाल है, वह भी कारखाने के उत्पादन मूल्य और लागत मूल्य के मुकाबले में बहुत ही सस्ता पड़ता है। दफ़्तर और कारखानों में काम करने वाले मजदूर अपने जानम और महंगाई की लड़ाई संगठित तरीके से लड़ लेते हैं। उन के महंगाई का मुद्दा खाद्यान्न की महंगाई, कीमत के घट-बढ़ पर निर्भर करता है। किसान की महंगाई का मुद्दा कारखाने के उत्पादन की महंगाई के घट-बढ़ पर निर्भर करेगा। आज तक इस सवाल पर कभी भी गम्भीरता से विचार नहीं किया गया। मैं कृषि मंत्री जी से चाहूंगा कि कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध जो देश के कई राज्यों ने मांग की है, उस पर इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सदन के सामने एक वक्तव्य दें ताकि एक स्पष्ट और कल्याणकारी दाम नीति तय हो सके। जिस कृषि उत्पादन का मूल्य भी बांधा जा सके और कारखाने के उत्पादन का मूल्य भी बांधा जा सके।

**Not recorded.

मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, जैसा बागड़ी जी और दूसरे साथियों ने निवेदन किया है, इस पर बहस की इजाजत दी जाय। इसका नोटिस दिया जा चुका है—इस पर तुरन्त चर्चा की जाय।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, . . .

MR. SPEAKER: I am going to consider that. There are Calling Attention Notices which are under my consideration.

*(Interruptions)****

MR. SPEAKER: Don't record.

12.48 hrs.

CONSTITUTION (FORTY-FIFTH AMENDMENT) BILL

Consideration of Amendments made by Rajya Sabha

MR. SPEAKER: The House will now take up consideration of amendments made by Rajya Sabha in the Constitution (45th Amendment) Bill, 1978 as passed by Rajya Sabha, for which five hours have been allotted.

If the House agrees, we may have three hours for discussion on the motion that the amendments made by Rajya Sabha be taken into consideration and two hours for discussion and voting on the Rajya Sabha amendments.

Voting on the motion that the Rajya Sabha amendments be taken into consideration may take place at 5.30 p.m. and voting on the Rajya Sabha amendments will take place thereafter.

Each of the six amendments listed in the List of Business will require the requisite special majority for adoption, and accordingly division will be held thereon. Similarly, the motion for passing of the Bill, as amended by the amendments agreed to, will require the requisite special majority and a division will be held thereon.

Dr Pratap Chandra Chunder may now move the motion. Before that Mr. Kamath is raising a point of order. No, it will be after the Minister moves the motion.

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): But I may submit that if necessary, the time may be extended by the leave of the House.

MR. SPEAKER: That we will consider, that is the usual request.

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): I beg to move:

"That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration:

"New Clause 7A.

(1) That at page 3, *after* line 4, the following new clause be inserted, namely:—

Amendment of article 31C

7A. In article 31C of the Constitution, for the words and figures "article 14, article 19 or article 31" the words and figures "article 14 or article 19" shall be substituted."

Clause 8.

(2) That at page 3, clause 8, be *deleted*.

Clause 35

(3) That at page 8, clause 35, be *deleted*.

Clause 44

(4) That at page 13, clause 44, be *deleted*.

Clause 45

(5) That at pages 13 and 14, clause 45, be *deleted*.

***Not recorded.